(17)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 24, 2005/अग्रहायण 3, 1927
No. 478] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 24, 2005/AGRAHAYANA 3, 1927

IndiaCode

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2005

सा.का.नि. 686(अ).— केन्द्रीय सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 185 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 176 की उपधारा (2) के खंड (छ) और खंड (ज) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संख्यांक सा0का0नि0 123, तारीख 27 फरवरी, 1988 द्वारा भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम 1988 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (अध्यक्ष और अन्य सैदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** :- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) " अधिनियम" से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;

(ख) " प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 70 के अधीन स्थापित केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) " सदस्य" से प्राधिकरण का पूर्णकालिक सदस्य जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, जहां संदर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, अभिप्रेत है ;

(ङ) " अन्य सदस्य" से किसी पूर्णकालिक सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(2) ऐसे सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषिक नहीं हैं वही अर्थ होंगे जो उनके क्रमशः अधिनियम में हैं ।

3. **प्राधिकरण का गठन :-** (1) अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (5) और धारा 73 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :-

(क) अध्यक्ष

(ख) सदस्य (आर्थिक और वाणिज्यिक)

(ग) सदस्य (ग्रिड आपरेशन और वितरण)

(घ) सदस्य (हाइड्रो)

(ङ) सदस्य (योजना)

(च) सदस्य (विद्युत प्रणाली)

(छ) सदस्य (तापीय)

(2) प्राधिकरण का अध्यक्ष और अन्य सदस्य इन नियमों में अधिकथित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए या तो प्रतिनियुक्ति आधार पर या अल्पकालिक संविदा आधार पर आदेश द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

4. **सदस्यों की पात्रता और कालावधि** :- (1) कोई व्यक्ति प्राधिकरण के किसी सदस्य जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने निम्नलिखित को धारण नहीं किया हो--

IndiaCode

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम पांच वर्ष के लिए नियमित आधार पर 18400-500-22400 रुपए के वेतनमान में मुख्य इंजीनियर का पद या समतुल्य या उच्चतर पद या वेतनमान ;

या

कम से कम पांच वर्ष के लिए नियमित आधार पर किसी राज्य विद्युत बोर्ड या किसी अर्द्धसरकारी संगठन या किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या किसी स्वशासी निकाय या किसी कानूनी निकाय या किसी विश्वविद्यालय या किसी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या किसी भारतीय प्रबंध संस्थान के अधीन उपर्युक्त उल्लिखित किसी पद के समतुल्य पद ; और

(ख) सुसंगत क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का क्षेत्र का अनुभव रखता हो ;

स्पष्टीकरण --इस उप नियम के प्रयोजन के लिए " सुसंगत क्षेत्र" पद से अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (5) में यथा परिभाषित सुसंगत क्षेत्र अभिप्रेत है ;

परंतु यह कि जब भी किसी सदस्य के पद या उसकी किसी रिक्ति को भरा जाना अपेक्षित हो, तब विशेषज्ञता का क्षेत्र या शाखा अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (5) के अधीन सूचीबद्ध प्रवर्गों में से विनिश्चित की जाएगी ।

(2) अधिनियम की धारा 70 की उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई सदस्य सामान्यतः पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा :

परंतु यह कि जहां उपनियम (2) में यथा उपबंधित किसी सदस्य की विहित पदावधि उसकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पूर्व समाप्त हो जाती है वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी सदस्य की पदावधि को केन्द्रीय सरकार में उसकी अधिवर्षिता की तारीख से अनधिक की अवधि के लिए और विस्तारित कर सकेगी ।

(3) कोई व्यक्ति प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा यदि वह---

(क) प्राधिकरण की तीन लगातार बैठकों से प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित रहता है ; या

IndiaCode

(ख) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने पर संबंधित राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य उधारदाता प्राधिकरण में सेवा समाप्त हो जाती है ; या

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतवर्लित है, सिद्ध दोष ठहरा दिया गया है या कारावास से दंडादिष्ट कर दिया गया है ; या

(घ) अनुन्मोचित दिवालिया हो गया है ।

5. **त्यागपत्र** :- (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और उस सरकार द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर उसका पद रिक्त समझा जाएगा ।

(2) प्राधिकरण का सदस्य प्राधिकरण के अध्यक्ष को कम से कम तीन मास की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा जो उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा और उस सरकार द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर उसका पद रिक्त समझा जाएगा ।

6. **सदस्यों, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है के वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन** (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष भारत सरकार के पदेन सचिव की हैसियत का उपभोग करेगा और भारत सरकार के सचिव को यथा उपलब्ध वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा ।

(2) प्राधिकरण का कोई सदस्य भारत सरकार के पदेन अपर सचिव की हैसियत का उपभोग करेगा और भारत सरकार के अपर सचिव को यथा उपलब्ध वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा ।

(3) अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें जिसके अंतर्गत छुट्टी, छुट्टी वेतन, छुट्टी यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रसुविधाएं आदि का हक भी है, वे होंगी जो तत्सम हैसियत के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू हैं ।

(4) अध्यक्ष और सदस्य (सदस्यों) के संबंध में पेंशन और छुट्टी वेतन अभिदाय, यदि वे प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उनके नियमों के अनुसार संबंधित उधारदाता प्राधिकारी को प्राधिकरण द्वारा संदत्त किए जाएंगे ।

7. **अन्य सदस्यों को संदेय भत्ते और फीस** :- अन्य सदस्य प्राधिकरण की बैठकों में हाजिर होने के लिए ऐसे भत्ते और फीस प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।

IndiaCode

8. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

[फा. सं. ए-35020/3/2003-प्रशा. 1]
आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2005

G.S.R. 686(E).— In exercise of the powers, conferred by clauses (g) and (h), of sub-section (2) of section 176 read with sub-section (2) of Section 185 of the Electricity Act, 2003, (36 of 2003), and in supersession of the Central Electricity Authority (Terms and Conditions of Chairman and other Members) Rules, 1988, published in the Gazette of India, Part-II, Section-3, sub-section (i), vide number GSR 123, dated the 27th February, 1988, as amended from time to time, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Central Electricity Authority (Terms and Conditions of Service of Chairperson and other Members) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires:-

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003, (36 of 2003);

IndiaCode

(b) "Authority" means the Central Electricity Authority established under section 70 of the Act;

(c) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority;

(d) "Member" means a full-time member of the Authority, including Chairperson, where the context so requires;

(e) "other Member" means a Member other than a full-time Member;

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Constitution of the Authority.** - (1) Subject to the provisions contained under sub-section (5) of sections 70 and 73 of the Act, the Authority shall consist of the following: -

IndiaCode

(a) Chairperson

(b) Member (Economic & Commercial)

(c) Member (Grid Operations & Distribution)

(d) Member (Hydro)

(e) Member (Planning)

(f) Member (Power Systems)

(g) Member (Thermal).

(2) The Chairperson and the Members of the Authority shall be appointed by an order either on deputation basis or on short-term contract basis, subject to the fulfilling of the eligibility conditions laid down in these Rules.

4. **Eligibility and term of office of the Members.** – (1) No person shall be eligible for appointment to the office of a Member, including the Chairperson, of the Authority unless he has held -

(a) the post of Chief Engineer or equivalent in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400 or higher post or scale of pay on a regular basis for at least five years under the Central Government or a State Government;

or

a post equivalent to that of a post mentioned above, under a State Electricity Board or a semi-Government organisation or a public sector undertaking or an autonomous body or a statutory body or a university or an Indian Institute of Technology or an Indian Institute of Management on a regular basis for at least five years; and

(b) possesses a minimum of three years' field experience in the relevant field;

Explanation. – For the purpose of the sub-Rule, the expression "relevant field" means relevant field as defined in sub-section (5) of section 70 of the Act:

Provided that whenever a post of Member or any vacancy thereof is required to be filled up, area of specialisation or discipline shall be decided from amongst the categories listed under sub-section (5) of Section 70 of the Act

(2) Subject to the provisions of Sub-section (6) of Section 70 of the Act, a Member shall normally hold office for a period not exceeding five years or till he attains the age of superannuation:

Provided that where the prescribed term of office of a Member as provided in sub-Rule (2) expires before he attains the age of superannuation, the Central Government may extend the term of office of such a Member for a further period not exceeding the date of his superannuation in the Central Government.

IndiaCode

(3) A person shall cease to be Member of the Authority if he -

(a) remains absent, without the prior permission of the Authority, from three consecutive meetings of the Authority; or

(b) having been appointed on deputation, ceases to be in service of the respective State Government, Central Government or any other lending authority; or

(c) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence which is in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

(d) is an un-discharged insolvent.

5. **Resignation.** - (1) The Chairperson of the Authority may resign from his office by giving notice of at least three months to the Central Government, in writing, and on such resignation being accepted by the Government, he shall be deemed to have vacated his office.

(2) A Member of the Authority may resign from his office after giving notice of at least three months, in writing, to the Chairperson of the Authority who shall forward the same to the Central Government and on such resignation being accepted by the Government, he shall be deemed to have vacated his office.

6. Pay and Allowances and other terms of the Members including the Chairperson: – (1) The Chairperson of the Authority shall enjoy the status of ex-officio, Secretary to the Government of India and shall carry the same pay and allowances as available to the Secretary to the Government of India;

(2) A Member of the Authority shall enjoy the status of ex-officio, Additional Secretary to the Government of India and shall carry the same

pay and allowances as available to the Additional Secretary to the Government of India;

(3) The other terms and conditions of service of Chairperson and Members, including entitlement of leave, leave salary, leave travel concession, travelling allowance, medical benefits etc. shall be as are applicable to the Central Government officers of corresponding status.

(4) The pension and leave salary contribution in respect of the Chairperson and Member (s), if they are on deputation to the Authority, shall be paid by the Authority to the respective lending authority in accordance with their rules.

IndiaCode

7. **Allowances and fees payable to other Members.** – The other Members shall receive such allowances and fees for attending the meetings of the Authority as may be determined by the Central Government.

8. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons.

[F. No. A-35020/3/2003-Adm. I]
R. C. ARORA, Under Secy.

3372 GI/05—(3)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.